<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103002522011</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—62 / 11</u> संस्थापित दिनांक—28.02.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वा		~ ~~					
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।							
						अभिय	ोजन
विरुद्ध							
01—प्रकाश पुत्र ज किर्राया पहाडपुर।	गन्नाथ	बाढई	उम्र	36	साल	निवासी	ग्राम
						अ	रोपी
राज्य द्वारा	:-	- श्री र्	नुदीप	शम	f, ए.र ्ड	ो.पी.ओ. ।	
आरोपी द्वारा	:-	- श्री व	यौरस <u>ि</u>	ाया -	अधिवद	म्ता i	

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 02.02.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी कृष्णाबाई ने दिनांक 21.02.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को शाम 5 बजे वह उसके खेत में अकेली भैंसों के लिए कांधी पटा रही थी और उसका देवर सुरेश पास में ही खलियान में काम कर रहा था तब उसे अकेली देखकर प्रकाश बाढई आया और बुरी नीयत से पीछे से उसकी भात दोनों हाथों से भर ली और उसकी छाती दबाई। वह चिल्लाई तो उसका देवर सुरेश दौड़कर आ गया और सुरेश को देखकर आरोपी प्रकाश भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 100/11 के अंतर्गत भादिव की धारा 354 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 354 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपी ने दिनांक 20.02.11 को शाम 5 बजे स्थान फरियादिया कृष्णाबाई लोधी का खेत ग्राम किरराया पहाडपुर में फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 कृष्णाबाई, अ.सा. 02 सुरेश, अ.सा. 03 किशन की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

अभियोजन साक्षी 01 कृष्णाबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपी से उसका वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपी के विरुद्ध प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी 02 तैयार किया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने बुरी नीयत से उसे पकड लिया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी जिसमें उसकी चूडियां टूट गई थीं। अ.सा. 02 सुरेश ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसे कृष्णाबाई ने बताया था कि आरोपी ने उसे बुरी नीयत से पकड लिया था। उक्त साक्षी ने प्रपी 04 का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। अ.सा. 03 किशन ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने भी इस बात से इंकार किया है कि उसे कृष्णाबाई ने बताया था कि आरोपी ने उसे बुरी नीयत से पकड लिया था। उक्त साक्षी ने प्रपी 05 का ए से ए भाग का कथन पुलिस को देने से इंकार किया है। प्रकरण में उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त अभियोजन द्वारा अन्य कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तृत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसमें से एक भी साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया। इस प्रकार अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तृत की गई है उससे यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया।

08— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

09— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

10— प्रकरण में जप्तशुदा कांच की चूड़ी के टुकड़े मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट किए जाएं। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

11— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे। निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत मेरे बोलने पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)